(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1547–पीबीआर/16 विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला धार प्रकरण कमांक /2015–16/अ–39.

गंगाराम पिता कोदरजी
निवासी जोशी कॉलौनी धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– अनुविभागीय अधिकारी धार
3– तहसीलदार, तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24।1।17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम जैतपुरा तहसील धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 107 रकबा 3.228 हेक्टेयर शासकीय होकर तत्समय प्रचलित नियमों के अंतर्गत मांगू पिता सावंत भील को पट्टे पर दी गई थी । उक्त भूमि पर वर्तमान में आवेदक गंगाराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने एवं उसका व्यपवर्तन कराये जाने से प्रचलित अधिनियम, नियम, परिपत्र एवं पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने से अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23–1–2016 जारी किया गया .। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि नगर पालिका सीमा में स्थित होकर उस पर अनेक लोगों ने मकान बना लिये हैं, और प्रश्नाधीन भूमि कभी भी मांगु को पट्टे पर नहीं दी गई है, इसलिए संहिता की धारा 181, 182 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(2) आवेदक एवं उसके पूर्वाधिकारी के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि पर उनका स्वत्व होने संबंधी दस्तावेज हैं, जिन पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

(3) यह प्रमाणित करने का भार शासन पर है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होकर पट्टे पर दी गई है ।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं कि 180 दिवस के भीतर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 409 पूर्णपीठ (हा.को.), 2000 आर. 161 (हा.को.), 2009 आर. 1 (हा.को.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा अभी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, अतः आवेदक को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी बात रखना चाहिए भी । अतः यह निगरानी प्रीमेच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर